प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2021
प्र.इ.रि.स 04/22 दिनांक 7/1/2022

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7, पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. – 120 बी
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 188 समय 8:15 P.M
(2) अपराध के घटने का दिन गुरूवार दिनांक 06.01.2022 समय 01:00 पी.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 20.12.2021 समय 02:45 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित / मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल : –
(1) थाना / यूनिट से दिशा व दूरी– भ्र0नि0 ब्यूरों एसयू उदयपुर से बजानिब उत्तर पूर्व दिशा, लगभग 40 किलोमीटर
(2) पता – कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त मावली जिला उदयपुर।
.... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता –

परिवादी

(1) नाम : श्री विष्णु कुमार कलाल
(2) पिता का नाम : श्री हिरालाल
(3) आयु : साल 30 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(6) व्यवसाय : व्यापार
(7) पता : ग्राम मेनार तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर

7. ज्ञात / अज्ञात / संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :

1. श्री गोपीलाल पुत्र श्री चुनाजी सोलंकी उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम बागरा त0 एवं जिला जालौर हाल आबकारी निरीक्षक वृत्त मावली जिला उदयपुर,
2. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुल्तान सिंह जाट उम्र 56 वर्ष निवासी सेजरा गुवार, त0 खेतडी जिला झुन्झूनु हाल प्रहराधिकारी आबकारी थाना मावली जिला उदयपुर
3. श्री योगेश सालवी आबकारी निरीक्षक वृत्त सलुंबर जिला उदयपुर

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विषिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	25,000 रूपये	

आरोपी 1. श्री गोपीलाल पुत्र श्री चुनाजी सोलंकी उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम बागरा त0 एवं जिला जालौर हाल आबकारी निरीक्षक वृत्त मावली जिला उदयपुर, 2. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुल्तान सिंह जाट उम्र 56 वर्ष निवासी सेजरा गुवार, त0 खेतडी जिला झुन्झूनु हाल प्रहराधिकारी आबकारी थाना मावली जिला उदयपुर एवं 3. श्री योगेश सालवी आबकारी निरीक्षक वृत्त सलुंबर जिला उदयपुर द्वारा आपसी षडयंत्र रचकर परिवादी श्री विष्णु कुमार कलाल से उसकी लाईसेन्सी शराब की दुकानों को बिना परेशानी संचालन करनें की एवज में अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोंग कर मासिक बंधी के अवैध पारितोषण के रूप में रिश्वत राशि मांग कर 25000 रूपयें ग्रहण कर अपनी टेबल की दराज में रखना।

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य 25000 रू रिश्वत राशि

11. पंचनामा / यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 20.12.2021 को समय 02:45 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को श्री उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट उदयपुर ने उनके कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा उनके कक्ष में पूर्व से ही उपस्थित परिवादी श्री विष्णु कुमार से परिचय कराया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सुपुर्द कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री विष्णु कुमार को अपने कक्ष में लेकर उपस्थित हुआ। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि ''मैं प्रार्थी विष्णु कुमार कलाल पुत्र श्री हिरालाल जी उम्र 30 वर्ष ग्राम मेनार तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर का निवासी हूँ। मेरे द्वारा ग्राम मेनार में एनएच 8 पर एक लाईसेन्सी शराब की दुकान तथा वृत्त सलुंबर में दो लाईसेन्सी शराब की दुकानों का संचालन किया जा रहा है। श्री गोपीलाल जी सीआई साहब वृत मावली द्वारा मुझसे मेनार की लाईसेन्सी दुकान के संचालन तथा किसी भी प्रकार से आबकारी विभाग द्वारा परेशान नहीं करने की एवज में प्रतिमाह 5000 रूपयें मासिक बंधी के रूप में रिश्वत राशि की मांग की जा रही है तथा श्री महेन्द्र कुमार जी पीओ साहब मावली द्वारा भी मेरी मेनार स्थित शराब की दुकान के बिना परेशानी संचालन की एवज में प्रतिमाह 1000 रूपये की मासिक बंधी के रूप में रिश्वत राशि की मांग श्री गोपीलाल जी सीआई साहब के मार्फत की जा रही है। इसके अलावा मेरी ग्राम अमरपुरा व रामज वृत सलूंबर में संचालित दो लाईसेन्सी शराब की दुकान के संचालन की एवज में श्री योगेश सालवीं सीआई साहब वृत सलूंबर द्वारा भी मेरी वेध लाईसेन्सी दूकान के संचालन तथा किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करने की एवज में प्रतिमाह 6000 रूपये मासिक बंधी के रूप में रिश्वत राशि की मांग श्री गोपीलाल जी सीआई साहब के मार्फत की जा रही है। इन तीनो आबकारी अधिकारीयो द्वारा मेरी वेध लाईसेन्सी शराब की दुकानो के संचालन में परेशान नही करने की एवज में मासिक बंधी देने हेतु रिश्वत की मांग कर रहे है तथा तीनो अधिकारियो के लिये रिश्वत राशि की मांग की बातचीत श्री गोपीलाल जी ही करते है। मैं श्री गोपीलाल जी सीआई साहब वृत मावली, श्री महेन्द्र कुमार जी पीओ साहब मावली तथा श्री योगेश जी सालवी सीआई साहब वृत सलूंबर को रिश्वत ग्रहण करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाहता हुँ। मेरी इन तीनो अधिकारीयो से कोई रूपयों की कोई उधार लेनदेन बकाया नहीं है और न ही उनसे कोई दुश्मनी है। अतः कानूनी कार्यवाही करनें की कृपा करें।'' प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में वर्णित अपराध की श्रेणी में आना पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट उदयपुर के श्री राजेश कुमार कानि0 नं. 263 को बुलाकर कार्यालय की आलमारी से सोनी कम्पनी का डिजिटल टेप रिकार्डर बरंग काला मय रिक्त मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर परिवादी श्री विष्णु कुमार को डिजिटल टेप रिकार्डर के संचालन एवं रिकार्डिंग करनें की विधि की समझाईश की गई। परिवादी श्री विष्णु कुमार ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी श्री गोपीलाल सोलंकी मुझसें केवल वॉटसअप कॉल पर ही वार्ता करता है मैं जब भी उनसे मिलने जाता हुँ वॉटसअप कॉल करके ही जाना पडता है। समय करीब 03:30 पीएम पर परिवादी श्री विष्णु कुमार को संदिग्ध अधिकारी गोपीलाल से वार्ता कर उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड करने की हिदायत देकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर श्री राजेश कुमार कानि0 नं. 263 के साथ रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता कर ब्यूरों कार्यालय पर उपस्थित होने की हिदायत देकर रवाना किया गया। समय करीब 05.27 पीएम पर श्री राजेश कुमार कानि0 नं. 263 ने जरिये मोबाईल मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि परिवादी से रिश्वत मांग करने वाले संदिग्ध अधिकारी द्वारा रिश्वत मांग की वार्ता की गई हैं जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया गया है तथा संदिग्ध अधिकारी द्वारा